

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश—(पोक्सो एक्ट)—।।/विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम, हापुड़।

उपस्थित:— अवनीश कुमार राय (उच्चतर न्यायिक सेवा) (UP-1688)

UPHP010038582026



अंतिम आख्या सं०-248 / 2026

सरकार बनाम नेपाल।

मु०अ०सं०-1244 / 2025

अंतर्गत धारा-135 भारतीय विद्युत अधिनियम,

थाना-एंटी पावर थैफ्ट,

जनपद हापुड़।

राष्ट्रीय लोक अदालत

-

दिनांक— 09.05.2026.

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश की गयी।

वादी मुकदमा की ओर से विद्युत विभाग के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। विद्युत विभाग की तरफ से उनके द्वारा नोटिस प्राप्त की गयी है। उनके द्वारा यह कथन किया गया है कि विवेचक द्वारा एफ०आर० में यह वर्णित किया गया है कि एफ०आर० स्वीकृत किये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इसी आशय का पृष्ठांकन आदेश पत्रक के हाशिये पर किया गया है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों में पत्रावली पर प्रस्तुत **अंतिम आख्या सं०-252 / 2026 सरकार बनाम नेपाल, दिनांकित 11.04.2026** स्वीकार की जाती है।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल अभिलेखागार हो।

(अवनीश कुमार राय)

J.O. Code (UP-1688)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश—(पोक्सो एक्ट)—।।/

विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम,

हापुड़।